

## विचारार्थ विषय

### वरिष्ठ परामर्शदाता - परिवार नियोजन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली उपर्युक्त पद के लिए पूर्णतः संविदा के आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है।

#### **भूमिकाएं और उत्तरदायित्व**

वरिष्ठ परामर्शदाता - परिवार नियोजन निम्न कार्यों के प्रति उत्तरदायी होगा:

- उत्तरवर्ती वर्ष में परिवार नियोजन प्रभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की प्राथमिकताओं और दिशा-निर्देशों के अनुसार परिवार नियोजन संबंधी विभिन्न कार्यकलापों के लिए वार्षिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाएं तैयार करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना।
- विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में शामिल तथा नियोजित विभिन्न नवाचारों एवं कार्यकलापों का समन्वय परिवार नियोजन प्रभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की प्राथमिकताओं और नीतियों के साथ सुनिश्चित करना।
- विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजी गई कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं की समीक्षा करने में परिवार नियोजन प्रभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सहायता प्रदान करना।
- सहमत वार्षिक कार्यक्रम योजनाओं के अनुसार उच्च फोकस वाले राज्यों तथा भारत में कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों का समय-पूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- देश में परिवार नियोजन के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विकास मूलक एजेंसियों के परिवार नियोजन संबंधी कार्यकलापों और कार्यक्रमों को परिवार नियोजन प्रभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की प्राथमिकताओं और विजन के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करने हेतु सहयोग और समन्वय करने में परिवार नियोजन प्रभाग को सहायता प्रदान करना।
- अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्टाफ, साझेदारों के कार्यक्रमों से तकनीकी एवं कार्यक्रम संबंधी जानकारीकी व्यवस्था और प्रबंधन करना ताकि भागीदारों तथा साझेदारों द्वारा सुचारू प्रचालन एवं स्वामित्व सुनिश्चित किया जा सके।
- परिवार नियोजन के दीर्घकायी और स्थायी विधियों संबंधी गुणवत्तायुक्त सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए निजी क्षेत्र के प्रदायकों की अधिकाधिक सहभागिता में परिवार नियोजन प्रभाग को सहायता प्रदान करना।
- परिवार नियोजन संबंधी महत्वपूर्ण संदेशों तथा समुचित गर्भनिरोधक सेवाओं एवं रेफरलों के प्रचार-प्रसार में आशा की सहभागिता में वृद्धि करने, समुदाय आधारित परिवार कल्याण कार्यकलापों के सुदृढ़ीकरण और विस्तार में राज्यों को सहायता प्रदान करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र के स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के विभिन्न स्तरों पर आईयूसीडी और बन्धीकरण सेवाओं की उपयोगिता तथा उपलब्धता पर अधिकाधिक जोर देते हुए मांग एवं आपूर्ति पक्ष संबंधी कार्यकलापों को प्राथमिकता देने और योजनाएं बनाने में राज्यों एवं संघ राज्यों क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना।
- विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में परिवार नियोजन संबंधी कार्यकलापों के अनुमोदित बजटों के व्यय संबंधी पैटर्नों पर निगरानी रखना तथा समय पूर्वक सुधारात्मक कार्यों के लिए सुझाव देना ताकि जैसे ही समस्या का पता चले उसका तत्काल समाधान किया जा सके।
- राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय परिवार नियोजन अभिविन्यास, सुग्राहीकरण तथा समीक्षा बैठकें आयोजित एवं व्यवस्थित करने के लिए परिवार नियोजन प्रभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सहायता प्रदान करना।

- राज्य सरकारों को गुणवत्तायुक्त तकनीकी सहायता का प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित सभी कार्यकलाप करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समन्वय-संपर्क और संभारतंत्रीय प्रबंधन सहित प्रशिक्षण/कार्यशालाएं सुस्थापित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप आयोजित की जाएं।
- कार्यक्रम के मुख्य परिणामों/सीखे गए सबक/अनुभवों की कार्यक्रम रिपोर्ट तैयार करना तथा इनका प्रलेखन सुनिश्चित करना एवं यह सुनिश्चित करना कि कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों के परिणाम कार्यक्रम संबंधी रिपोर्टों में एकत्र किए जाएं।
- आंतरिक कार्यक्रम अपेक्षाओं तथा बाहरी प्रचार-प्रसार के लिए भारत सरकार के मानक दिशा-निर्देशों एवं कार्यक्रम के अनुरूप दस्तावेज, रिपोर्ट एवं प्रस्तुतीकरण तैयार एवं प्रस्तुत करना।
- राज्यों, राज्य स्वास्थ्य सोसायटियों, सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण संस्थानों तथा महत्वपूर्ण चिकित्सा कॉलेजों के साथ सुदृढ़ संपर्क-समन्वय कार्य करना और इसे कायम रखना।
- ऑनसाइट डाटा सत्यापन तथा सहायक पर्यवेक्षण के लिए सभी प्रगतिरत प्रशिक्षणों की प्रगति, फ़िल्ड में किए जाने वाले कार्यकलापों की मॉनीटरिंग के लिए यथापेक्षित पूरे देश में यात्रा करना ताकि राज्य एवं जिला स्तरों पर डाटा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

#### पात्रता:

- अधिमानत: एमबीबीएस। जन स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा वांछनीय हैं।
- सरकार के जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों, सहभागियों एवं प्रणालियों के साथ कार्य करने का कम से कम 6-8 वर्ष का अनुभव जिसमें से आरसीएच कार्यक्रमों के प्रबंधन में 3-4 वर्ष का संबद्ध अनुभव होना चाहिए।
- भारत में जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों विशेष रूप से एफपी/आरएच में तकनीकी जानकारी और क्षेत्र संबंधी अनुभव।
- भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली, मुख्य हितधारकों और संबद्ध सरकारी नीतियों/कार्य-नीतियों-विशेषतया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राज्य स्वास्थ्य सोसायटियों की जानकारी होना।
- यदि उच्च कोटि की प्रकाशित कृतियां हैं अथवा विशेष संदर्भ का कार्य अनुभव है तो औपचारिक शैक्षणिक अर्हताओं और अनुभव में शिथिलता दी जा सकती है।

#### दक्षताएं:

- सरकारी जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों, सहभागियों और प्रणालियों के साथ कार्य करने का अनुभव और प्रदर्शित क्षमता।
- अंग्रेजी और हिंदी बोलने और लिखने में पारंगत होना।
- सौंपे गए कार्य के लिए अपेक्षित अद्यतन दक्षताओं की पूर्णतया तकनीकी जानकारी होना।
- तकनीकी और कार्यक्रम संबंधी दस्तावेज जैसे प्रशिक्षण सामग्री एवं रिपोर्ट लिखने में निपुणता।
- अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम दल में कार्य करने की क्षमता और दल के विभिन्न सदस्यों के साथ नियमित रूप से संवाद बनाए रखना।
- कार्यक्रम और बजट तैयार करने और प्रबंधन करने में अनुभव सहित दाता समर्थित परियोजनाओं के संबंध में कार्य करने का अनुभव और प्रदर्शित क्षमता।
- समय-सीमा के दबाव में विविध कार्यों का निपटान करने की क्षमता।
- विविध कार्य और विविध सांस्कृतिक दलों के साथ कार्य करने की क्षमता।
- सभी पण्धारियों और अन्य संगठनों के साथ उत्पादक कार्य संबंध विकसित करने की क्षमता।
- माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में दक्षता, वर्ड, एक्सेल, पावर प्लाइंट और ऑडिटलुक में निपुणता।
- अपने 50% समय में यात्रा करने की क्षमता।

**आयु-सीमा:** अधिकतम आयु 40 वर्ष आवेदन की अंतिम तिथि तक तथा आवधिक क्षेत्रीय दौरे करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अपेक्षित है।

**पारिश्रमिक सीमा:** रु.1,30,000/- से 1,50,000/- के बीच प्रतिमाह।

**स्थान:** नई दिल्ली

**आवेदन कैसे करें:**

कैंडिडेट्स को अनुरोध किया जाता है कि वह निर्धारित आवेदन पत्र को डाउनलोड करे और विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र के ई-मेल [rch.recruitment@nhsrccindia.org](mailto:rch.recruitment@nhsrccindia.org) में दिनांक 09-Nov-2016 को अपराह्न 4 बजे तक अवश्य भेज दे। केवल निर्धारित संलग्न आवेदन पत्र में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।